



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 फाल्गुन 1938 (शा०)

(सं० पटना 197) पटना, बुधवार, 15 मार्च 2017

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आधिसूचना

10 मार्च 2017

जी.एस.आर. 2, दिनांक 15 मार्च 2017—भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग के विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना (संशोधन) आदेश, 2011, विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश, 2002, विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना (दूसरा संशोधन) आदेश, 2015 प्रकाशित द्वारा सा० का० नि०-९२९(अ) दिनांक 29 सितम्बर, 2016 एवं विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना (संशोधन) आदेश, 2015 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम 10) की धारा-३ द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल दाल-दलहन के अनुज्ञापन, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन के संबंध में निम्नलिखित आदेश करते हैं—

(1) बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापत्र एकीकरण) आदेश 1984 के साथ पठित विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 5670 दिनांक 18.12.2009 द्वारा दाल एवं दलहन के सम्बन्ध में निर्गत आदेश इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से 30 सितम्बर, 2017 तक लागू रहेगा।

(2) एतदसम्बन्धी निर्गत पूर्व अधिसूचनाएँ/आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

(3) यह आदेश अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगा।

[(सं० प्र०4 /आ०-०१ /२०१५—१२८५]

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
भरत कुमार दुबे,
सरकार के अपर सचिव।

The 10th March 2017

GSR 2, dated the 15th March 2017— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (Central Act 10 of 1955) read with the Removal of (Licensing Requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2011, the Removal of (Licensing Requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002, the Removal of (Licensing

Requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Second Amendment) Order, 2015 published through S.O. 929 (E) dated 29.09.2016 and the Removal of (Licensing Requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Amendment) Order, 2015, all of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs), Government of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following order regarding licensing, stock limits and movement restriction of pulses :-

(1) The Order made regarding pulses by the department's notification no. 5670 dated 18.12.2009 read with the Bihar Trade Articles (Unification of Licenses) Order, 1984 shall remain in force till 30 September, 2017 from the date of issuance of this Order.

(2) Previously issued corresponding notifications/orders shall be deemed to be amended to this extent.

(3) This Order shall come into force from the date of its notification..

[No. Pra-04-aa-01/2015—1285]

By the Order of the Governor of Bihar,

BHARAT KUMAR DUBEY,

Additional Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 197-571+100-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>